करोना संक्रमण से चौदह दिन बाद एक और मौत हुई राजस्थान में

राज्य में इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को चौदह दिन बाद फिर करोना से एक और संक्रमित की मौत हुई है। हालाकि इस बीच राज्य में थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 52 मरीज ठीक होने के साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।

- **प्रदेश में बुधवार को थोड़ी गिरावट के बाद 57 नए संक्रमित मिले, इनमें 31 रोगी जयपुर में पाए गए हैं।**
- **राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं।**

राजधानी जयपुर में बुधवार को करोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले 10 मई को अजमेर में एक संक्रमित की मृत्यु हुई थी। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9555 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश के 8 जिलों में 57 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 71 रोगी पाए गए थे। वहीं आज राजधानी जयपुर में भी नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान जिले में 31 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10, अजमेर में 5, जोधपुर व उदयपुर में 3-3, बीकानेर व सीकर में 2-2 तथा गंगानगर में 1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 25 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में बुधवार को फिर नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवर कम हुई है। इस दौरान 52 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 12 लाख 75 हजार 303 लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 495 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 264 मामले जयपुर में है।

जगतपुरा व विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में बुधवार को सबसे ज्यादा जगतपुरा और विद्याधर नगर में 5-5 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 4, सोड़ाला में 3 तथा जामड़ोली, अजमेर रोड, बनीपार्क, ब्रह्मपुरी, झोटवाड़ा, खातीपुरा, कोटपूतली, मालवीय नगर, मानसरोवर, सांभर, सांगानेर और टोंक रोड इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जिले में 24 मरीज ठीक हुए हैं।

सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती का रास्ता साफ

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक और रेंज ऑफिसर भर्ती-2021 का रास्ता साफ करते हुए भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में स्केलिंग पद्धति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश गौरव शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। एकलपीठ ने गत 28 मार्च को आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश देते हुए अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

याचिकाओं में कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य प्रश्न पत्रों के अलावा बीस अन्य प्रश्न पत्रों में से दो वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को चुनने की व्यवस्था की गई थी। आरपीएससी ने बिना बताए अभ्यर्थियों के अंकों को स्केलिंग के नाम पर कम दिए और याचिकाकर्ताओं को चयन से बाहर कर दिया। याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमर्जी से अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में 70 अंकों तक की कमी-बढ़ोतरी कर दी। जबकि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता।

'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को सफल बनाने के लिए मिशन मोड में काम करें : सीएस

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में आगामी महिनों में शुरु होने वाले 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' की समीक्षा की।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को मिशन मोड में काम करना होगा ताकि अभियान को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके और आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ पूरी मात्रा में प्राप्त हो सकें।

शर्मा बुधवार को यहां शासन सचिवालय में आगामी महिनों में शुरु होने वाले "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि इस अभियान को पूर्णतया गंभीरता से लें तथा इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस अभियान को कुछ माह के बजाए स्थायी प्रकिया के तौर पर अपनाना चाहिए। साथ ही इसकी पूरी मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन में इस अभियान के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए इसका पूरा प्रचार-प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान में नशे की दुष्प्रवति की रोकथाम के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए उन्होंने इस सबंधं में विभागीय अधिकारियों से कहा कि नशे की प्रवृति पर रोकथाम के लिए एक फिल्म बनाकर उसे प्रत्येक कॉलेज तथा स्कूल मे दिखानी चाहिए जिससे युवा नशे की दुष्प्रवति से बच सकें।

पंजीयन का अधिकार मिलेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें लगे तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चर्चा

जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां अब गति पकड़ने लगी है। उद्योगों की स्थापना और जापानीज कंपनियों को नीमराणा में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन (जेट्रो) और नाइडेक कंपनी के उच्चाधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, रीको की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह और बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह के साथ अहम बैठक कर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने उद्योग भवन में आयोजित इस बैठक में जापान और राजस्थान के संबंधों को बेहतरीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में वर्ष 2006 में जापानीज इन्वेस्टमेट जोन बनने के साथ से ही जापानी कंपनियों का कबेहतर सहयोग मिला है। जापानीज कंपनियों ने प्रदेश में निरंतर निवेश को बढ़ाया है। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिट में भी इसी तरह के सहयोग का आग्रह किया है।

इस अवसर पर रीको प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि नीमराणा में प्रदेश का दूसरा जापान बसता है। राज्य सरकार जापानीज कंपनियों को निवेश का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक में कंपनियों द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सुविधाओं में विस्तार भी किया जाएगा।

बैठक में बीआईपी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जापानीज प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान वन स्टॉप सॉल्यूशन, रिप्स, रोड शोज सहित कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर उर्जा के साथ डाउनस्ट्रीम एनर्जी (पेट्रोकेमिकल) जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है। उन्होंने कंपनियों से सभी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आश्वस्त किया।

इस अवसर पर में जेट्रो (नई दिल्ली) के चीफ डायरेक्टर जनरल यासुयूकी मुराहाशी, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टोमोयूकि हतानो, असिटेंट डायरेक्टर गौरव शर्मा व नाइडेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नीमराणा) के मैनेजिंग डायरेक्टर केईजी ओशिमा, कंपनी सेकेट्ररी लोकेश तनेजा और अभिषेक त्यागी ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव भी दिए। गौरतलब है कि इनवेस्ट राजस्थान समिट में जापानीज कंपनियों के साथ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू होना प्रस्तावित हैं।

हत्याकांड मामले में पांच साल बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की

हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की

जयपुर। बलकेश मीणा हत्याकांड में सीबीआई ने जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल नहीं की। इस पर हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। भाई सुरेश मीणा की ओर से याचिका प्रस्तुत की गई थी और 2017 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को दी थी लेकिन 5 साल बाद भी न्यायालय में चार्जशीट फाइल नहीं की गई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि अप्रैल 2016 में बलकेश मीणा को नीम का थाना पुलिस वाले दुकान से उठाकर ले गए थे और 3 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं दिखाया गया और थाने में ही रखा गया था उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसके बाद उसको सवाई माधोपुर थाने में ले गए वहां पर भी लगातार मारपीट की गई और लगातार मारपीट करने से बलकेश मीणा की मृत्यु हो गई। बलकेश मीणा के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पूरे गांव ने थाने को घेर लिया था तब पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा पूरे थाने को सस्पेंड किया गया था लेकिन उसके बाद में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तब याचिकाकर्ता की तरफ से भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर सीबीआई जांच की मांग की थी और हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वे पूरे प्रकरण की दोबारा निष्पक्ष जांच करें। इस आदेश से घबराकर पुलिस वालों ने रिव्यू याचिका पेश कर निवेदन किया कि जांच सीबीआई को नहीं दी जावे और राजस्थान के किसी भी बड़े अधिकारी से जांच करवा ली जाए। भंडारी ने इसका जबरदस्त विरोध किया कि रिव्यू याचिका मेंटेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट में बहस सुनने के बाद पुलिस सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद सीबीआई दिल्ली ने इस प्रकरण में पूरी जांच की। गवाहों के दिल्ली बुलाकर बयान लिए गए और मौके की जांच पड़ताल की गई और जांच पूरी कर ली गई लेकिन राजस्थान सरकार के प्रमुख गृह सचिव अभय कुमार के द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देने से सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है जबकि इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस कांड में 10 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है इसलिए दबाव के कारण चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रप्रकाश सोनगरा ने भंडारी की बहस सुनकर सरकारी वकील को निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 सप्ताह बाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें।

भर्ती विज्ञापनों पर रखें ध्यान, ताकि भर्तियां कोर्ट में ना अटके : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नवसृजित दौ सौ पदों के लिए निकाले गए भर्ती विज्ञापन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर 18 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश प्रदीप शर्मा की याचिका पर दिए। अदालत ने मामले में महाधिवक्ता को कहा कि सरकार को देखना चाहिए कि भर्ती विज्ञापन स्पष्ट और नियमानुसार सही हो। इसके अलावा उनमें नियमानुसार भर्ती को लेकर प्रावधान किए गए हो, ताकि कोर्ट में मामला आने पर भर्तियां अटके नहीं। अदालत ने कहा कि एक लाख भर्तियां देने की बात कही जा रही है, लेकिन अस्सी हजार कोर्ट में ही अटक जाती हैं।

याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने गत 25 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दो सौ नवसृजित पदों के लिए अलग-अलग विभागों में काम कर रहे कार्मिकों से आवेदन मांगे। विज्ञापन में कहा गया कि नियमित नियुक्ति से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं आने तक इन्हें नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया। वहीं प्रशिक्षण को छोड़कर शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को इसमें आवेदन करने को कहा गया। याचिका में कहा गया कि एफएसओ पद की पात्रता केन्द्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2016 के नियम के तहत तय की गई है। जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 1965 के नियम के तहत भी प्रशिक्षण प्राप्त होना जरूरी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने प्रशिक्षण की अनिवार्य योग्यता को ही हटा दिया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पूर्व में भी राज्य सरकार के ऐसे प्रयासों को गैर कानूनी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार फिर से अपात्रों को नियुक्ति देने जा रही है।

पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए पेश अर्जी पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहन लाल नामा की ओर से पेश अर्जी पर दिए।

- **पायलट और अन्य विधायकों ने नया अधिवक्ता नियुक्त किया**

मोहनलाल नामा की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने अर्जी पेश कर कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीतिक समझौता हो गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पीआर मीणा सहित अन्य विधानसभा में विश्वास मत के समर्थन में अपना वोट दे चुके हैं। ऐसे में उनकी विधानसभा और कांग्रेस में सदस्यता बरकरार रखने की प्रार्थना भी एक तरह से मंजूर हो चुकी है। इसलिए अब याचिका लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है और याचिका को न्याय हित में खारिज की जाए। दूसरी ओर विधायकों की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है।

वहीं हाई कोर्ट में पूर्व में पायलट सहित 18 विधायकों के अधिवक्ता ने पैरवी करने से मना कर दिया था तो राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी विधायकों को नोटिस भिजवाया था आज पायलट सहित 16 विधायकों की ओर से ने अधिवक्ता ने पैरवी की 7 विधायकों की तरफ से वकालतनामा पेश किया और बाकी के विधायकों की ओर से अंडरटेकिंग दी कि अगली तारीख पर वकालतनामा पेश कर देंगे। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने न्यायालय को बताया कि एक विधायक गजेन्द्र सिंह शेखावत की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसका नाम याचिका में से हटा दिया जाए। न्यायधीश ने भंडारी के स्टेटमेंट के आधार पर विधायक गजेन्द्र सिंह शक्तावत का नाम याचिका से हटाने के निर्देश दिए और प्रकरण को 4 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए नियत किया।

हाउसिंग बोर्ड ने 1 दिन में 100 व्यवसायिक भूखंड बेचकर कीर्तिमान बनाया

जयपुर, (का. स.)। राजस्थान आवासन मण्डल ने बुधवार नीलामी उत्सव में एक ही दिन में 100 व्यावसायिक भूखण्ड बेचने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। हाउसिंग बोर्ड की अपनी दुकान-अपना व्यवसाय योजना में बीकानेर वृत्त के हनुमानगढ और सूरतगढ में ई-ऑक्शन एवं ई-बिड सबमिशन के माध्यम से 9 करोड 53 लाख रूपये में यह 100 व्यावसायिक भूखण्ड बिके। इसके अतिरिक्त इस बुधवार को ही 70 आवासीय संपत्तियां भी बेची गई हैं। यह जानकारी हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने दी है।

अरोडा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरूआती दो माह की अल्पावधि में ही बुधवार नीलामी उत्सव के अन्तर्गत ई-ऑक्शन और ई-बिड सबमिशन के माध्यम से मंडल द्वारा प्रदेश में 847 आवासीय एवं व्यावसायिक अधिशेष सम्पत्तियों का विक्रय कर कुल 112 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। इनमें जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 258 आवासों का बेचान कर 41 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया है।

रीट परीक्षा में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत

जयपुर। हाईकोर्ट ने रीट परीक्षा-2022 में आवेदन पत्र भरने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश भगवती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि गत 12 अप्रेल को रीट का विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 19 मई और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 मई रखी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार आवेदन पत्र भरा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी। ऐसे में उन्हें इस बार सिर्फ चालान ही जनरेट करना था, लेकिन याचिकाकर्ता तय तिथि तक चालान जनरेट नहीं कर पाए।

जेडीए ने अमृत कुंज-द्वितीय योजना में पुराने आवंटियों को भूखंड दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जेडीए प्रशासन ने बुधवार को अमृत कुंज योजना के आवंटियों को भूखंडों का आवंटन किया गया। इन आवंटियों को लॉटरी के माध्यम से नई योजना अमृत कुंज-द्वितीय में भूखंडों का आवंटन किया गया।

- **वर्ष 2010 में कालवाड़ गाँव में सृजित 1426 भूखंडों की योजना में हाईकोर्ट के स्टे के कारण नहीं दिया जा सका था कब्ज़ा**

जेडीए प्रशासन ने बुधवार को अमृत कुंज योजना के आवंटियों को भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया।

जेडीए आयुक्त रवि जैन ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ग्राम कालवाड़ में अमृत कुंज योजना का सृजन वर्ष 2010 में किया गया था। आवंटी भूखण्ड नहीं मिलने के कारण कई वर्षों से परेशान थे। पूर्व में सृजित अमृत कुंज योजना में कुल 1426 भूखण्ड थे। योजना में हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में स्थगन आदेश दिया गया था, जिस कारण आवंटियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका था।

जेडीए की ओर से सफल भूखण्डधारियों के लिए अमृत कुंज-द्वितीय योजना सृजित करने का निर्णय लिया गया। शीघ्र योजना सृजित कर आवंटियों को भूखण्डों का आवंटन संभव हो पाया है। योजना में मौके पर भूमि का सीमांकन किया जा चुका है। विकास कार्य किये जा रहे है। पूर्व में क्षेत्रफल 30, 54, 120 व 225 वर्गमीटर भूखण्ड लॉटरी से आवंटित किये गये, जिसके पेटे आवंटियों की ओर से सम्पूर्ण राशि जमा करा दी गयी है। ऐसे आवंटियों को नवसृजित योजना अमृत कुंज-द्वितीय में लॉटरी के माध्यम से नागरिक सेवा केन्द्र जविप्रा, जयपुर में भूखण्डों का आवंटन किया गया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

श्रद्धांजलि

हमारे परम मित्र **श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत** (वीरू बन्ना) के असामयिक निधन पर हम सब अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते है।

श्रद्धावनत- धमेन्द्र सिंह राठौड, ईश्वर सिंह राठौड, रूपेश सिंह शेखावत, महेन्द्र सिंह शेखावत, प्रशान्त कुमार, जितेन्द्र सिंह शेखावत, प्रभास कुमार जैना, विरेन्द्र सिंह शेखावत

तीये की बैठक

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि भवानी शंकर (विक्की) देवी शंकर (निक्की) हमारे पूज्यनीय पिताजी

श्री रामजीलाल गुर्जर

का स्वर्गवास दिनांक 24.05.2022 को हो गया है तीये की बैठक 26.05.2022 को 3 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान- जग्गा की बावड़ी राजमाता गायत्री देवी स्कूल के सामने केशव विद्यापीठ रोड, जामडोली जयपुर पर होगी

शोकाकुल- रामवतार, रामफूल, ब्रजमोहन, रामसहाय, ओमप्रकाश,अजय कुमार, डूंगर सिंह, ताराचंद, लालचंद (भ्राता), घनश्याम, हिम्मत सिंह, महेश,रवि शंकर, अशोक (भतीजे) 9610213031

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-2054 दिनांक-24.05.2022

जाहिर आम सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास संख्या 261/28 (MIG-A), (एरिया 96.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती वीना पत्नी श्री वीरेन्द्र कुमार को किया जाकर आवंटन पत्र 5767 दिनांक 19.02.2009 को जारी किया गया। श्रीमती वीना के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 17.11.2011 को उप पंजीयक जयपुर-अष्टम के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती वीना की मृत्यु दिनांक 07.05.2021 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री वरूण सेखरी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सेखरी द्वारा उक्त आवास को अपने स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री वरूण सेखरी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार सेखरी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

खोया पाया

गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गणेश नगर विस्तार का प्लाट नम्बर 101 का जेडीए पट्टा, साईट प्लान व स्टाम्प कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। रामचन्द्र कुमावत मो. 8619072875

मेरे मकान 11/1136 मालवीय नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र संख्या 1788/7/3/88, सुरजीत सिंह के नाम से, सैक्टर-13, मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें। मोहन मुरारी सक्सैना मो. 8209715489

मुमताज बेगम पत्नी शब्बीर हुसैन के नाम से भूखंड संख्या 12ए, सुशीलपुरा, अजमेर रोड, जयपुर के आवंटन पत्र, साइट प्लान, रसीद कहीं गिर गए, मिलने पर सूचित करें । हमीदा बानो पत्नी श्री उम्मेद हुसैन- मो. 9079055917

NAME CHANGE

I Susheela Kumari, Spouse of No. JC390285P NB/Sub. Ravindra Kumar, R/o 3 AFSR C/o 99 APO, Bhorjar, Guwahati. In my husband's service record my name recorded as Susheela Sharma & DOB-22/04/1981 whereas my correct name is Susheela Kumari & correct DOB is 22/04/1977 Vide affidavit-BF970512, 24/05/2022, Jaipur

I, Dangi Monika Ranveer VPO-Nalwa, Jhunjhunu (Raj.) 333025 have changed my name from Dangi Monika Ranveer to Monika Ranvir Singh for all future Purposes.

I Adu Ram Talnia S/o Om Prakash Talnia R/o House Number-0 village Daudsar teh Ratangarh, Churu, Rajasthan-331022, have changed my name to Adesh Talnia

I Satyanaryan Singh S/o Ganga Singh cast Rajput R/o Plot no. 129 Amarnath Dham II Hatoj kalwar Road jaipur that my name Satyanarayan is Wrong Entered in my 10th class marksheet but correct Name is Satyanarayan Singh in Future Called me As Satyanarayan Singh for All purposes.

मैंने अपना नाम गिरधारी पुत्र श्री राम गोपाल मीणा जन्म दिनांक 01.01.1993 से बदल कर गिरधारी लाल मीणा पुत्र श्री लोहडी राम मीणा रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पुकारा जावेगा निवास वार्ड नं. 2 आगला कुआ की ढाणी समेल, दौसा (राज.)

मैंने अपनी पुत्री का नाम निशा वाधवानी से बदलकर निशा नागर पुत्री सावित्री नागर पत्नि मनोज नागर रख लिया है। अतः भविष्य में इसे निशा नागर पुत्री सावित्री नागर पत्नि मनोज नागर नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम विजय सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह शेखावत निवासी 91-ए, आरएफसी कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर से बदलकर भविष्य में सभी कार्य हेतु विजय सिंह शेखावत रख गया है।

मै दिनेश काबरा पुत्र सोहन लाल निवासी 5-ड-12 हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर जयपुर हूँ। मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश कुमार काबरा पुत्र सोहन लाल काबरा है जबकि आधार, पेन कार्ड में दिनेश काबरा पुत्र सोहन लाल है वास्तव में दोनों नाम (एक ही व्यक्ति) मेरे ही है।